

भारत सरकार  
Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
Department of Atomic Energy  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र  
Raja Ramanna Center for Advanced Technology  
चिकित्सा प्रभाग  
Medical Division

No. : RRCAT/MD/RMC/Circular/2026/16(2)/710

Date: 08-04-2026

**Sub. : Procedure to avail the treatment in Emergency Reg.**

It is for the information of all the CHSS beneficiaries that the following procedures may be followed while availing treatment during an emergency:

**Local Emergencies (Within Indore):**

(Ref.: Office Order – D-27-2025 dt. 28-05-2025 & DAE Office Memorandum on “Contributory Health Services Scheme in the Department of Atomic Energy” issued vide reference No. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22/01/1998).

In terms of Rule 15 of CHSS Rules, in medical emergencies all the beneficiaries under the scheme may receive, as a concessional measure, medical attendance and treatment from any private medical practitioner or hospital in Indore. This scheme is applicable only in the case of treatment availed in emergency from non-empanelled hospital or medical practitioner.

For the purpose of this Scheme, the term "emergency" shall mean a situation or contingency when, but for the immediate medical aid sought, there would have been or could be suspected, on the basis of the medical and attendant considerations, a serious danger or hazard or severe or deleterious consequence to the health of the patient. The accessibility/availability or otherwise of the facilities under the Scheme in the context of the severity of medical emergency/ailment at the time of emergency will also be taken into consideration. The opinion of the Local Medical Emergency Committee shall be final as to what constitutes an emergency treatment, notwithstanding any medical certificate to the contrary produced from a private doctor or hospital.

The Local Medical Emergency Committee shall determine whether a claim should be reimbursed or not and also the extent to which the reimbursement should be allowed from the point of view of medical necessity etc., e.g.

- (a) whether it was a case of medical emergency;
- (b) whether the intimation regarding emergency was given as required;
- (c) Whether the items included in the claim were medically necessary;
- (d) whether the charges/prices are reasonable

The employees/beneficiary concerned should report the emergency treatment availed of either for himself/herself or for the members of his/her family registered under the Scheme as early as possible, and in any case within 4 days from the date of the commencement of the treatment to the In-Charge, RMC at email address: [medemergency@rrcat.gov.in](mailto:medemergency@rrcat.gov.in), the employee should thereafter act on the directions if any- given to him/her by the In-Charge, RMC failing which no reimbursement will be

allowed. In exceptional circumstances, the above condition may be waived or delay in reporting condoned by the Local Medical Emergency Committee.

#### **Step-by-Step Process:**

1. Immediate Intimation is Mandatory: Inform In-charge, RMC via email at email address: [medemergency@rrcat.gov.in](mailto:medemergency@rrcat.gov.in), as soon as possible after admission or starting treatment, stating it's an emergency and in any case within 4 days from the date of the commencement of the treatment.
2. Emergency Medical Certificate (EMC): Obtain a certificate from the treating doctor/hospital stating the condition was an emergency, justifying treatment in non-empanelled hospital or from any private medical practitioner, and submit it with your original bills, treatment records and discharge summary for reimbursement.
3. In case of prolonged treatment, patient should be shifted to empanelled hospital as soon as possible in consultation with treating doctor and under intimation to In-Charge, RMC.
4. Submitting Claim: The claim with the complete documents mentioned above should be addressed to the Chairman, Local Medical Emergency Committee (Chief Administrative Officer, [cao@rrcat.gov.in](mailto:cao@rrcat.gov.in)), RRCAT and submitted to CAO Office.
5. The expenditure incurred on emergency medical treatment/attendance shall be reimbursed to the extent admissible in terms of charges etc. prescribed under the scheme. In cases where charges for the purpose of reimbursement have not been prescribed, such amount as is considered reasonable shall be reimbursed. Claims for reimbursement shall be supported by appropriate receipts and other documents.
6. All other conditions stipulated under Rule 15 of the CHSS Rules shall apply *mutatis mutandis*.

#### **Outstation Emergencies (Outside Indore):**


For CSMA (Central Services Medical Attendance) rules on outstation emergencies, the core principle is that while you should use nearest Govt./Recognized facilities, emergencies allow treatment at any recognized hospital (even private/empanelled) for life-saving care, requiring immediate intimation (email as soon as possible) to In-charge, RMC at email address: [medemergency@rrcat.gov.in](mailto:medemergency@rrcat.gov.in), with later submission of an emergency certificate from the treating doctor for reimbursement. The key is timely notification and documentation proving the emergency nature of treatment. In case of treatment taken in emergency in any non-empanelled private hospitals, reimbursement shall be considered by competent authority at CGHS prescribed Package rates only as detailed below.

As per G.I MH OM No. F. No. S. 14025/14/2012-MS, dated 11.06.2013:

1. The reimbursement of medical expenses incurred by a Central Government employee covered under CS(MA) Rules, 1944 on availing medical treatment for himself and his dependent family members in emergency conditions, is allowed as per the prevailing non-NABH CGHS rates as applicable to a CGHS covered city and non-NABH rates applicable to the nearest CGHS covered city in case of non-CGHS city, as the case may be, or the actuals, whichever is less.
2. For the medical treatment in such cases where package rates are prescribed under CGHS, the non-NABH rates of the CGHS covered city and non-NABH rates of the nearest CGHS city (in case of non-CGHS covered city) or the actuals, whichever is less, will be applicable.

**Step-by-Step Process:**

1. Immediate Intimation is Mandatory: Inform In-charge, RMC via email at [medemergency@rrcat.gov.in](mailto:medemergency@rrcat.gov.in), as soon as possible after admission or starting treatment, stating it's an emergency and in any case within 4 days from the date of the commencement of the treatment.
2. Emergency Medical Certificate (EMC): Obtain a certificate from the treating doctor/hospital stating the condition was an emergency, justifying treatment outstation, and submit it with your original bills, treatment records and discharge summary for reimbursement.
3. Submitting Claim: The claim with the complete documents mentioned above should be submitted to the AO-III(A1) in administration.

 08.04.26

Dr. Ajit Upadhyay

Head, RRCAT Medical Services Section,  
Medical Division.

डॉ. अजित उपाध्याय / Dr. Ajit Upadhyay  
प्रमुख, साराप्रौके चिकित्सा सेवाएं अनुभाग  
Head, RRCAT Medical Services Section  
चिकित्सा प्रभाग / Medical Division  
भारत सरकार / Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology  
इन्दौर (म. प्र.) / Indore-452013 (M.P.)

Cc:

Director, RRCAT  
Director's Office, RRCAT  
Head, Computer Division, RRCAT: (with a request to upload the Circular on Pensioner's and Employee's Corner on RRCAT Website)  
General Secretary, CATSA  
General Secretary, CATGANGA  
Secretary, AERWA, Indore  
Principal, AECS, RRCAT  
CAO, RRCAT  
DCA, RRCAT

भारत सरकार  
Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
Department of Atomic Energy  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र  
Raja Ramanna Center for Advanced Technology  
चिकित्सा प्रभाग  
Medical Division

No. : RRCAT/MD/RMC/Circular/2026/16(2)/710

दिनांक: 08-04-2026

**विषय: आपातकालीन स्थिति में उपचार प्राप्त करने की प्रक्रिया।**

सभी सीएचएसएस लाभार्थियों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में उपचार प्राप्त करते समय निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए:

**स्थानीय आपात स्थिति (इंदौर में):**

(संदर्भ: कार्यालय आदेश - दिनांक 27-2025, 28-05-2025 और परमाणु ऊर्जा विभाग में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना पर पउवि कार्यालय ज्ञापन, संदर्भ संख्या 7/55/94/CHSS/IR&W/37, दिनांक 22/01/1998)।

सीएचएसएस नियमों के नियम 15 के अनुसार, चिकित्सा आपात स्थिति में योजना के सभी लाभार्थी इंदौर के किसी भी निजी चिकित्सक या अस्पताल से रियायती उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना केवल गैर-सूचीबद्ध अस्पताल या चिकित्सक से आपातकालीन स्थिति में प्राप्त उपचार के मामले में लागू होती है। इस योजना के प्रयोजन के लिए, "आपातकाल" शब्द का अर्थ ऐसी स्थिति या आकस्मिकता है, जब तत्काल चिकित्सा सहायता न मिलने पर, चिकित्सीय और संबंधित परिस्थितियों के आधार पर, रोगी के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा या हानि हो सकती है या होने की संभावना हो। आपातकाल के समय चिकित्सा आपातकाल/बीमारी की गंभीरता के संदर्भ में योजना के अंतर्गत सुविधाओं की उपलब्धता/पहुँच या अनुपलब्धता पर भी विचार किया जाएगा। "स्थानीय चिकित्सा आपातकालीन समिति" का निर्णय अंतिम होगा कि आपातकालीन उपचार क्या है, भले ही किसी निजी चिकित्सक या अस्पताल द्वारा इसके विपरीत कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

स्थानीय चिकित्सा आपातकालीन समिति यह निर्धारित करेगी कि दावा प्रतिपूर्ति योग्य है या नहीं और चिकित्सा आवश्यकता आदि के दृष्टिकोण से प्रतिपूर्ति की सीमा क्या होनी चाहिए, उदाहरण के लिए:

- (क) क्या यह चिकित्सा आपातकाल का मामला था;
- (ख) क्या आपातकाल के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई थी;
- (ग) क्या दावे में शामिल वस्तुएं चिकित्सकीय रूप से आवश्यक थीं;
- (घ) क्या शुल्क/मूल्य उचित हैं।

संबंधित कर्मचारी/लाभार्थी को स्वयं या योजना के अंतर्गत पंजीकृत अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्राप्त आपातकालीन उपचार की सूचना यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में उपचार शुरू होने की तिथि से 4 दिनों के भीतर प्रभारी, आरएमसी को ईमेल: [medemergency@rrcat.gov.in](mailto:medemergency@rrcat.gov.in) पर देनी चाहिए। इसके बाद कर्मचारी को प्रभारी, आरएमसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। असाधारण परिस्थितियों में, स्थानीय चिकित्सा आपातकालीन समिति द्वारा उपरोक्त शर्त को माफ किया जा सकता है या सूचना देने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता है।

#### चरणबद्ध प्रक्रिया:

1. तत्काल सूचना देना अनिवार्य: भर्ती होने या उपचार शुरू होने के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में उपचार शुरू होने की तारीख से 4 दिनों के भीतर, ईमेल [medemergency@rrcat.gov.in](mailto:medemergency@rrcat.gov.in) के माध्यम से प्रभारी, आरएमसी को सूचित करें, जिसमें यह बताया गया हो कि यह एक आपातकालीन स्थिति है।
2. आपातकालीन चिकित्सा प्रमाण पत्र (ईएमसी): उपचार करने वाले डॉक्टर/अस्पताल से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें जिसमें यह बताया गया हो कि स्थिति आपातकालीन थी, और गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में या किसी निजी चिकित्सक से उपचार का औचित्य सिद्ध किया गया हो। इस प्रमाण पत्र को अपने मूल बिल, उपचार रिकॉर्ड और डिस्चार्ज सारांश के साथ प्रतिपूर्ति के लिए जमा करें।
3. यदि उपचार लंबा चलता है, तो उपचार करने वाले डॉक्टर से परामर्श करके और प्रभारी, आरएमसी को सूचित करते हुए, रोगी को यथाशीघ्र सूचीबद्ध अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
4. दावा प्रस्तुत करना: ऊपर उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित दावा "स्थानीय चिकित्सा आपातकालीन समिति (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, [cao@rrcat.gov.in](mailto:cao@rrcat.gov.in)), राराप्रॉके" के अध्यक्ष को संबोधित किया जाना चाहिए और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
5. आपातकालीन चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के तहत निर्धारित शुल्कों आदि के अनुसार स्वीकार्य सीमा तक की जाएगी। जिन मामलों में प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क निर्धारित नहीं किए गए हैं, उनमें उचित समझी जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति के दावों के साथ उचित रसीदें और अन्य दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
6. सीएसएसएस नियमों के नियम 15 के तहत निर्धारित अन्य सभी शर्तें यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगी।

#### इंदौर के बाहर आपातकालीन स्थिति:

केंद्रीय चिकित्सा सहायता (सीएसएमए) नियमों के अनुसार, इंदौर के बाहर आपातकालीन स्थिति में उपचार का मूल सिद्धांत यह है कि यद्यपि आपको निकटतम सरकारी/मान्यता प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन आपातकालीन स्थिति में किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल (निजी/सूचीबद्ध) में जीवन रक्षक उपचार की अनुमति है। इसके लिए प्रभारी, आरएमसी को तत्काल सूचना (ईमेल के माध्यम से यथाशीघ्र) देना आवश्यक है, और बाद में

प्रतिपूर्ति के लिए उपचार करने वाले चिकित्सक से आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। समय पर सूचना देना और उपचार की आपातकालीन प्रकृति को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में उपचार कराया जाता है, तो प्रतिपूर्ति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल सीजीएचएस द्वारा निर्धारित पैकेज दरों के अनुसार ही विचार किया जाएगा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है।

जी.आई.एम.एच.ओ. संख्या एफ. संख्या एस. 14025/14/2012-एमएस, दिनांक 11.06.2013 के अनुसार:

1. केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, जो सीएस(एमए) नियम, 1944 के अंतर्गत आते हैं, द्वारा आपातकालीन स्थिति में स्वयं और अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रचलित गैर-एनएबीएच सीजीएचएस दरों के अनुसार की जाएगी, जो सीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले शहर पर लागू होती हैं, और गैर-सीजीएचएस शहर के मामले में निकटतम सीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले शहर पर लागू गैर-एनएबीएच दरों के अनुसार, या वास्तविक खर्च, इनमें से जो भी कम हो, लागू होगी।
2. ऐसे मामलों में जहां सीजीएचएस के अंतर्गत पैकेज दरें निर्धारित हैं, चिकित्सा उपचार के लिए सीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले शहर की गैर-एनएबीएच दरें, और निकटतम सीजीएचएस शहर की गैर-एनएबीएच दरें (गैर-सीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले शहर के मामले में) या वास्तविक खर्च, इनमें से जो भी कम हो, लागू होगी।

#### चरणबद्ध प्रक्रिया:

1. तत्काल सूचना देना अनिवार्य: भर्ती होने या उपचार शुरू होने के तुरंत बाद और किसी भी स्थिति में उपचार शुरू होने की तारीख से 4 दिनों के भीतर, ईमेल [medemergency@rrcat.gov.in](mailto:medemergency@rrcat.gov.in) के माध्यम से प्रभारी, आरएमसी को सूचित करें, जिसमें यह बताया गया हो कि यह एक आपातकालीन स्थिति है।
2. आपातकालीन चिकित्सा प्रमाण पत्र (ईएमसी): उपचार करने वाले डॉक्टर/अस्पताल से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें जिसमें यह बताया गया हो कि स्थिति आपातकालीन थी, और बाहरी अस्पताल में उपचार का औचित्य सिद्ध किया गया हो। इसे अपने मूल बिल, उपचार रिकॉर्ड और डिस्चार्ज सारांश के साथ प्रतिपूर्ति के लिए जमा करें।
3. दावा प्रस्तुत करना: ऊपर उल्लिखित सभी दस्तावेजों के साथ दावा प्रशासनिक अधिकारी-III, AO-III(A1), राराप्रौके को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

*Ajit - Upadhyay 08.04.26*  
डॉ. अजित उपाध्याय

प्रमुख, राराप्रौके चिकित्सा सेवा अनुभाग,

डॉ. चिकित्सा विभाग, राराप्रौके Upadhyay

प्रमुख, राराप्रौके चिकित्सा सेवाएं अनुभाग

Head, RRCAT Medical Services Section

चिकित्सा प्रभाग / Medical Division

भारत सरकार / Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

आर.आई.एम. प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर, मध्य प्रदेश 462013

प्रति:

निदेशक, राराप्रौके

निदेशक कार्यालय, राराप्रौके

पता: चिकित्सा प्रभाग, राराप्रौके / Medical Division, RRCAT, डाक : कैंट / PO : CAT, इंदौर, मध्य प्रदेश 462013, (भारत / INDIA), Tel. No. : (0731) 248-8425, ईमेल/e-mail : mdoff@rrcat.gov.in / aporme@rrcat.gov.in

कंप्यूटर विभाग प्रमुख, राराप्रौके: (राराप्रौके वेबसाइट पर पेंशनभोगी और कर्मचारी कॉर्नर पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ)

महासचिव, केटसा

महासचिव, केटगंगा

सचिव, आईआरडब्ल्यूए, इंदौर

प्राचार्य, आईसीएस, राराप्रौके

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राराप्रौके

उप लेखा नियंत्रक, राराप्रौके